फा. सं. 55/13/2023-P&PW(C)(Part1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली
दिनांक 25. 07.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Corrigendum on notification dated 16.07.2024 regarding amendment in CCS (Pension) Rules, 2021

Please refer to notification dated 16.07.2024 in Gazette of India regarding amendments in CCS (Pension) Rules, 2021 (Copy attached). I am directed to request you to read para 1, clause (2) of page 1 of the said notification as under

'(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीस दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।'.

2. This issues with the approval of competent authority.

Encl: As above

विशाल

(Vishal Kumar)
Under Secretary to Govt of India
Ph No. 24644634

To,

All Ministries/Departments of Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई **, 2024**

सा.का.नि. .... **(अ).**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ पच्चीस दिनों के पश्चात् प्रवृत होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 50 के उपनियम (15) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के समय, प्ररूप 6-क में कुटुंब के अद्यतित ब्यौरे पुन: प्रस्तुत करेगा।"

3. उक्त नियमों के, नियम 53 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) जब तक कि सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो सरकारी कर्मचारी के पेंशन मामले पर ऑनलाइन मोड (भविष्य/ई-एचआरएमएस) के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी जो ई-एचआरएमएस पर हैं, केवल ई-एचआरएमएस (अधिवर्षिता मामलों में) के माध्यम से प्ररूप 6-क प्रस्तुत करेंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं तथा अधिवर्षिता से भिन्न सभी मामलों में (अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन, अशक्तता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति तथा सेवा से पदच्युति या हटाया जाना), प्ररूप 6-क भविष्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।";

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में "भविष्य" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"ऑनलाइन मोड (भविष्य/ई-एचआरएमएस)"।

4. उक्त नियमों के, नियम 57 में,-

(क) उपनियम (1) के खंड (ग) में उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) प्ररूप 6-क प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को सलाह";